

पुनः पथ डर्ड। प्राची स्वने व प्राची अधिवक्ता
को पृथक-पृथक आवाज लगवाई दि गई
किन्तु उपस्थित नहीं हुए। प्राची व प्राची
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाने
के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से
पत्रावली अदम हाजरी - अदम पैरवी
में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल
शुभ्राट्ट डेकट नम्बर से करनी जाकर
खारिज रहता है।

निर्णय आज दिनांक 3/10/2015

को सेट एणलास सुनाया गया।